10/18

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.4.18	वकुलाय उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय सिरोही के समक्ष एक वाद प्रस्तुत विचाराधीन है तथा उक्त वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज करने के कारण माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 15/2013 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 के विरूद्ध माननीय जिला न्यायालय सिरोही के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय जिला न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2017 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की है तथा प्रत्यर्थीगण को ताफैसला मूल वाद के पाबन्द किया गया है कि वे मूल वाद के निर्णय तक विवादित संपति पर प्रार्थीगण के कब्जे में कोई हस्तक्षेप नहीं करें तथा विवादित संपति को क्षति कारित नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस कारण माननीय जिला न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश आज भी प्रभाव में होने के करण प्रकरण में आगामी कार्यवाही स्थगित कराने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, सिरोही द्वारा पारित निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में माननीय जिला न्यायालय सिरोही से स्थगन आदेश जारी किया गया है, जो मूल वाद के निर्णय तक प्रभावी है। इस स्थिति में सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 की धारा 10 के तहत प्रकरण में किसी प्रकार की आगामी कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण माननीय सिविल न्यायाधीश सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक हस्तगत अपील में कार्यवाही प्रास्थगित (Keep in abeyance) रखी जाती है तथा अपीलाण्ट के पुनः अपील प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ ही अपील इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 26.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-सिरोही	